(115)

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 1984/श्रावण 5, 1906
No. 283] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 1984/SRAVANA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1984

सा० का० नि० 538 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का पंजाब अधिनियम सं० 22) का, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, विस्तारण करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. धारा 1 की उपधारा (2), धारा 2 के खण्ड (क) और धारा 3 में "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

2. धारा 1 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा और प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।"

3. धारा 14 का लोप किया जाएगा ।

उपाबंध

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का पंजाब अधिनियम सं० 22)

पंजाब राज्य को लागू होने में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

पंजाब राज्य में विद्यमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि राज्य में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन कतिपय शक्तियां अस्थायी अवधि के लिए उस राज्य में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त करना और पंजाब राज्य को लागू होने में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना समीचीन समझा गया है।

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में पंजाब विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1983 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संहिता" से चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है ।

(ख) "विनिर्दिष्ट अपराध से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(1) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 45) के अध्याय 8 और 10 के अधीन आने वाले अपराध;

(2) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 54) के अधीन ऐसे अपराध जो तीन वर्ष की अवधि तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय हैं;

(3) पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1954 का पंजाब अधिनियम सं. 12) के अधीन अपराध; और

(ग) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके संहिता में हैं ।

3. लागू होना—इस संहिता के उपबंध विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने में इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे ।

4. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां—इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अपवर्जित करते हुए विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित मामलों का संज्ञान करने और विचारण करने तथा उन्हें निपटाने की शक्ति होगी;

(ख) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी अन्य मजिस्ट्रेट की अपवर्जित करते हुए विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में संहिता की धारा 167 के अधीन प्रतिप्रेषण की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस प्रयोजन के लिए उक्त धारा 167 इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानों "न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों या "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं और "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं ।

5. संहिता में 29-क का अंत:स्थापन—विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में संहिता इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानो संहिता की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की गई है अर्थात् :—

"29क. दण्डादेश जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे—कार्यपालक मजिस्ट्रेट तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दण्डादेश दे सकेगा ।"

6. संहिता में नई धारा 190-क का अंत:स्थापन—विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में संहिता इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानों संहिता की धारा 190 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की गई है अर्थात् :—

"190क. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, निम्नलिखित दशाओं में कर सकेगा : —

(क) उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर;

(ख) उन तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या स्वयं अपनी जानकारी पर कि ऐसा अपराध हुआ है ।"

7. संहिता की धारा 191 का संशोधन—विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, संहिता की धारा 191 इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानो "धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ग)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 190क" शब्द, अंक और अक्षर रखे गए हैं और "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है और "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" और "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं ।

8. संहिता की धारा 192 का संशोधन—विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, संहिता की धारा 192 इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानो "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों और "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" शब्दों या "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं क्रमश: "जिला मजिस्ट्रेट" और "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं ।

9. संहिता की धारा 374 का संशोधन—विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, संहिता की धारा 374 की उपधारा (3) इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानो "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं ।

10. संहिता की धारा 437 का संशोधन—विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, धारा 437 इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानो उस धारा की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी गई है, अर्थात् :—

"(8) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अभियुक्त को छोड़ने से पहले न्यायालय अभियोजन पक्ष को इस प्रकार छोड़ने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।"

11. संहिता में नई धारा 439क का अंत:स्थापन—संहिता की धारा 439 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"439-क इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति :—

(क) जो निम्नलिखित धाराओं के अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा 120ख, 121, 121क, 122, 123, 124क, 153क, *302, 304, 307, 326, 333, 363, 364, 365, 367, 368, 392, 394, 395, 396, 399, 412, 431, 436, 449 और 450 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3,4,5 और 6, तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25,26,27,28,29,30 और 31 के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त है या जिस पर कोई अपराध करने का संदेह है, गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय में हाजिर होता है या उसके समक्ष लाया जाता है;

या

जिसने यह विश्वास करने का कारण होने पर कि वह खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट कोई अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, उक्त न्यायालय या सेशन न्यायाधीश से गिरफ्तार किए जाने की दशा में जमानत पर छोड़े जाने के लिए निदेश के लिए आवेदन किया है,

निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक पर के सिवाय, यथास्थिति जमानत पर छोड़ा नहीं जाएगा या उसे जमानत पर छोड़े जाने का निदेश नहीं दिया जाएगा अर्थात् :—

(1) न्यायालय का, जिसमें उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय सम्मिलित है, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दोषी नहीं है;

(2) ऐसा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का या महिला या बीमार या अशक्त व्यक्ति है,

(3) न्यायालय का जिसमें उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय सम्मिलित है ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो गया है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए निदेश देने के लिए असाधारण और पर्याप्त कारण हैं।"

12. संहिता की प्रथम अनुसूची का संशोधन—संहिता की प्रथम अनुसूची में "1-भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध" शीर्षक के नीचे,—

(1) धारा 332 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ 5 में "जमानतीय" शब्द के स्थान पर "अजमानतीय" शब्द रखा जाएगा;

(2) धारा 353 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ 5 में "यथोक्त" शब्द के स्थान पर "अजमानतीय" शब्द रखा जाएगा;

(3) धारा 354 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ 5 में "यथोक्त" शब्द के स्थान पर "जमानतीय" शब्द रखा जाएगा।

13. अधिनियम का लंबित मामलों को लागू न होना—इस अधिनियम की कोई बात किसी अपराध से संबंधित ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी जिसका संज्ञान किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया जा चुका है।

[सं० पृ०-11015/10/84-यू. टी. एल. (158)]

एच. बी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 1984

G.S.R. 538(E).—In exercise of powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Code of Criminal Procedure (Punjab Amendment) Act, 1983 (Punjab Act No. 22 of 1983) as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section 1, in sub-section (2), in section 2, in clause (a) and in section 3, for the words "State of Punjab", the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted ;

2. In section 1, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) It shall come into force at once and shall remain in force for a period of one year from the date of its commencement.".

3. Section 14 shall be omitted.

ANNEXURE

The Code of Criminal Procedure (Punjab Amendment) Act, 1983 (Punjab Act No. 22 of 1983) as extended to the Union Territory of Chandigarh.

An Act to amend the Code of Criminal Procedure, 1973, in its application to the State of Punjab.

Whereas the circumstances prevailing in the State of Punjab are such that in order to ensure maintenance of Public Order and Tranquility in the State it is considered expedient to confer certain powers under the Code of Criminal Procedure, 1973, on the Executive Magistrates in the State for a temporary period and to amend certain provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), in its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement—(1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Punjab Amendment) Act, 1983.

(2) It extends to the whole of the Union Territory of Chandigarh.

(3) It shall come into force at once and shall remain in force for a period of one year from the date of its commencement.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973, in its application to the Union territory of Chandigarh.

(b) "specified offences" means—

(i) offences falling under Chapters VIII and X of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) ;

(ii) offences under the Arms Act, 1959 (Central Act No. 54 of 1959) punishable with imprisonment upto three years or with fine or with both ;

(iii) offences under the Punjab Security of the State Act, 1953 (Punjab Act No. 12 of 1954) ; and

(c) the words and expressions used herein but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Code.

3. Application.—The provisions of the Code, in their application to the Union Territory of Chandigarh in relation to the specified offences, shall apply subject to the amendments made by this Act.

4. Powers of Executive Magistrates.—Notwithstanding anything contained in the Code,—

(a) an Executive Magistrate shall, to the exclusion of any other Magistrate, have power to take cognizance of and to try and dispose of cases relating to specified offences ;

(b) the Executive Magistrate shall, to the exclusion of any other Magistrate, exercise powers of remand under section 167 of the Code in relation to the specified offences and for that purpose the said section 167 shall be so read as if the words "Executive Magistrate" were substituted for the words "Judicial Magistrate" or "Magistrate" and the words "District Magistrate" were substituted for the words "Chief Judicial Magistrate".

5. Insertion of section 29A in the Code.—In relation to the specified offences, the Code shall be so read as if after section 29 of the Code, the following section was inserted, namely :—

"29A. Sentences which Executive Magistrates may pass.—An Executive Magistrate may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years or of fine not exceeding five thousand rupees, or of both".

6. Insertion of new section 190A in the Code.—In relation to the specified offences, the Code shall be so read as if after section 190 of the Code, the following section was inserted, namely :—

"190A. Cognizance of offences by Executive Magistrates.—Subject to the provisions of this Chapter any Executive Magistrate may take cognizance of any specified offence—

(a) upon receiving a complaint of facts which constitute such offence ;

(b) upon a police report of such facts ;

(c) upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge, that such offence has been committed".

7. Amendment of section 191 of the Code.—In relation to the specified offences, section 191 of the Code shall be so read as if for the words, brackets and figures "clause (c) of sub-section (1) of section 190", the word, figures and letter "section 190A" were substituted and for the word "Magistrate" whereever occurring, and the words "Chief Judicial Magistrate" the words "Executive Magistrate" and "District Magistrate", respectively, were substituted.

8. Amendment of section 192 of the Code.—In relation to the specified offences, section 192 of the Code shall be so read as if for the words "Chief Judicial Magistrate", and the words "Magistrate of the first class", or "Magistrate" wherever occurring, the words "District Magistrate" and "Executive Magistrate", respectively, were substituted.

9. Amendment of section 374 of the Code.—In relation to the specified offences, sub-section (3) of section 374 of the Code shall be so read as if for the words "Magistrate of the first class", the words "Executive Magistrate" were substituted.

10. Amendment of section 437 of the Code.—In relation to the specified offences, section 437 of the Code shall be so read as if the following sub-section was added after sub-section (7) of that section, namely :—

"(8) Before releasing the accused on bail under sub-section (1) or sub-section (2), the court shall give the prosecution a reasonable opportunity to show cause against such release".

11. Insertion of new section 439-A in the Code.—After section 439 of the Code, the following section shall be inserted, namely :—

"439-A. Notwithstanding anything contained in this Code, no person—

(a) who, being accused or suspected of committing an offence under any of the following sections, namely,—sections 120B, 121, 121A, 122, 123, 124A, 153A, 302, 304, 307, 326, 333, 363, 364, 365, 367, 368, 392, 394, 395, 396, 399, 412, 431, 436, 449 and 450 of the Indian Penal Code, 1860, sections 3, 4, 5 and 6 of the Explosive Substances Act, 1908, and sections 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 of the Arms Act, 1959, is arrested or appears or is brought before a court ;

or

(b) who, having any reason to believe that he may be arrested on accusation of committing an offence as specified in clause (a), has applied to the High Court or the Court of Sessions for a direction for his release on bail in the event of his arrest,

shall be released on bail or, as the case may be, directed to be released on bail, except on one or more of the following grounds, namely :—

(i) that the Court including the High Court or the Court of Sessions for reasons to be recorded in writing is satisfied that there are reasonable grounds for believing that such person is not guilty of any offence specified in clause (a) ;

(ii) that such person is under the age of sixteen years or a woman or a sick or an infirm person ;

(iii) that the court including the High Court or the Court of Sessions for reasons to be recorded in writing is satisfied that there are exceptional and sufficient grounds to release or direct the release of the accused on bail."

IndiaCode

12. Amendment of First Schedule to the Code.—In the First Schedule to the Code, under the heading captioned "1—Offences under the Indian Penal Code",—

(i) against the entries relating to section 332, in column 5, for the word "Bailable", the word "Non-bailable" shall be substitued ;

(ii) against the entries relating to section 353, in column 5, for the word "Ditto", the word "Non-bailable" shall be substituted ;

(iii) against the entries relating to section 354, in column 5, for the word "Ditto" the word "Bailable" shall be substituted.

13. Act not to apply to pending cases.—Nothing in this Act shall aply to cases relating to any offence taken congnizance of by any court before the commencement of this Act.

[No. U-11015/10/84-UTL(158)]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

IndiaCode

556 GI/84—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984